प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सिवरोध हो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

103 - ब्यावर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्री शंकरसिंह रावत

36 हिम्मतपुरा गांव कालीकांकर पोस्ट किशनपुरा तह. ब्यावर पिन 305927 जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं ।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान- अजमेर दिनांक- 03-12-2023



मृद्धिय सिंह स्ट्रिक्ट सिंह स्ट्रिक्ट अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट) विद्यामसम्बा मिक्षिण्यमे क्षत्रं - उपखण्ड मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट ब्यावर

Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from the 103-BEAWAR Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri SHANKERSINGH RAWAT
36 HIMMATPURA VILLAGE KALIKANKAR POST KISHANPURA TH.
BEAWAR PIN 305927
sponsored by BHARATIYA JANATA PARTY
has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place- AJMER Dated- 03-12-2023

THE THE PARTY OF T

MRIDUL SINGH Returning Officer 103-Beawar

Sub Divisional Officer Sub Divisional Published FFICER SSEMBLY BONSTITURNEY 103-BEAWAR